LIDA
LUCKNOW INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ज–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट कानपुर लखनऊ–12
फोन न0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री आई0एच0 सिद्दीकी (अतिरिक्त महाप्रबन्धक)
प्रतिनिधि, एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 476 दिनांक 02.01.2018 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर परगना बिजनौर तहसील सदर जनपद लखनऊ के पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा पत्र सं0 424 दि0 02.11.15 के साथ संलग्न भू–विन्यास मानचित्र पर अंकित है, के भूखण्ड सं0 जी–1 के सम्पूर्ण भाग का क्षेत्रफल 2921.22 वर्गमीटर पर स्वीकृत हेतु भू–विन्यास मानचित्र के अनुसार निर्माण/विकास/परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण कतिपय शर्तों के अधीन आपके आवेदन–पत्र पर भू–विन्यास मानचित्र (आवासीय भू–प्रयोग) का अनुमोदन प्रदान किया गया है। निर्धारित शर्तें अनुज्ञा पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यालय मुहर

710
27/02/18

हस्ताक्षर

27/2/18
(एस0पी0 सिंह)
वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना)

कार्यालय संप्रेषण संख्या 710

दिनांक 27/02/2018

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण(लीडा),

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0/मैप दि0........

भू–विन्यास अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित बिल्डिग वाईलाज व निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उप–विभाजन तलपट मानचित्र हेतु प्राविधान व प्राधिकरण भवन विनियमावली 2009 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप भू–विन्यास करा रहा है इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवासी या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्न के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा। निम्नलिखित प्रतिबंधों शर्तो के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री आई0एच0 सिद्दीकी (अतिरिक्त महाप्रबन्धक) प्रतिनिधि, एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 द्वारा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर परगना बिजनौर तहसील सदर जनपद लखनऊ के पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा पत्र सं0 424 दि0 02.11.15 के साथ संलग्न भू–विन्यास मानचित्र पर अंकित है, भूखण्ड सं0 जी–1 के सम्पूर्ण भाग का क्षेत्रफल 2921.22 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर भू–विन्यास मानचित्र हेतु जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भू–विन्यास मानचित्र के अनुसार विकास हेतु प्रस्तुत भू–विन्यास मानचित्र (आवासीय भू–प्रयोग) का अनुमोदन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दि0 27.02.18 को किया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0) प्रबन्धक (परि0) सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

वरिष्ठ प्रबन्धक (परि0)

दिनांक– .

नोट : यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू–विन्यास का विकास शर्तानुसार /आज्ञानुकूल नहीं विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई भू–विन्यास बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति किये विकसित अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञानय भू–विन्यास को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसक हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा। निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन क उपरात स्थल पर विकास/निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निम्न शर्त प्रभावी होंगी:–

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू–विन्यास का विकास शर्तानुसार /आज्ञानुकूल नही विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता हैं अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई भू–विन्यास बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति किये विकसित अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय भू–विन्यास को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा।

2. विकास/निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्टिक सिटी रूल्स के निमय 1970 का उल्लघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह भू–विन्यास विकास को निरस्त अथवा रोक अथवा हटा सकता है।

3. प्रार्थी को नियमानुसार प्राधिकरण को विकास के पूर्ण हो जाने की सूचना समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा।

4. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर विकास आदि हटावें जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी भू–विन्यास विकास को प्रारम्भ करे।

5. भू–विन्यास हेतु प्रस्तावित स्थल में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, सड़क वाटर सप्लाई, वाहय विद्युतीकरण,सेप्टिक टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिग, ट्रांसफार्मर इत्यादि आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर निर्धारित विशिष्टताओं एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुरूप कराये जायेगें। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यो को निर्धारित विशिष्ठतायों के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति मेंप्राधिकरण आवेदक के विरूद्व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

6. वाहय अवस्थापनागत सुविधओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमति के उपरांत स्वयं के खर्चे पर कराया जायेगा।

7. आवेदक द्वारा स्वीकृत मानचित्र व वाह्य विकासात्मक कार्यो के विरूद्ध कोई भी वाद योजित नहीं किया जायेगा।

8. भूखण्डों पर व्यक्तिगत आवंटियों द्वारा जो भी निर्माण [illegible] [illegible] [illegible] मानचित्र [illegible] [illegible] उपविधि/नियमावली निदेशक मण्डल के निर्णय एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत [illegible] द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

9. आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आवेदक द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

10. यह अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए वैध होगी। वैधता अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

11. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।

12. सड़कों के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा "ब्रिक-ऑन-एज"/ "लूज स्टोन पेवमेन्ट" का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

13. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।

14. विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग ग्राफिक्स या समकक्ष फार्मेट में सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।

15. प्राधिकरण द्वारा समय–2 पर आवेदक से माँगे जाने पर आवंटियों की सूची पता सहित उपलब्ध कराना होगा।

16. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना प्राधिकरण को देनी होगी।

17. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी0 व आर्की0 की देखरेख में विकास कार्य कराया जायेगा तथा समय–समय पर कार्य की प्रगति से प्राधिकरण को अवगत करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

18. प्राधिकरण के सहा0 प्रबंधक परि0 अथवा अन्य अधिकारी द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।

19. प्राधिकरण की भवन नियमावली, अनुमोदित उपविभाजन तलपट मानचित्र के प्राविधान एवं अन्य शर्तें आवेदक को मान्य होंगी।

20. किसी भी नियमों की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।

21. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय–2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।

22. विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है।

23. प्रश्नगत स्वीकृति ले-आउट प्लान के उसी भाग के लिए मान्य होगी जो विकासकर्ता के स्वामित्व में है।

24. ले-आउट प्लान के अंतर्गत तालाब, कब्रिस्तान, मंदिर (देवालय) व नाले इत्यादि के स्वरूप को यथावत रखना होगा तथा किसी भी दशा में इसका संकुचन अनुमन्य नहीं होगा।

25. विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप /कालोनियों में एस0टी0पी0/म्युनिसपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं0 3333/55-पर्या0/2008 दि0 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान 2031 की नीति के आधार पर सालिडवेस्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेस्ट के अंतिम निस्तारण हेतु विकासकर्ता को स्वयं नगर निगम की सहमति/अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

26. विकास के सभी कार्य निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के आधार पर विकासकर्ता द्वारा सम्पादित कराये जायेगें। विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यो का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विक्रय योग्य भूमि का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) क्षेत्र लीडा के समक्ष/पास बंधक के रूप में रखा जायेगा अथवा विकासकर्ता द्वारा इतनी ही धनराशि की बैंक गारन्टी प्रेषित की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य न कराये जाने अथवा निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के अनुरूप न करवाए जाने की स्थिति में बंधक भूखण्डों को विक्रय कर अथवा बैंक गारन्टी को कैश कर विकास कार्य लीडा द्वारा सम्पादित कराये जायेगें। विकास कार्य सम्पादित होने पर समानुपातिक रूप से भूखण्ड अवमुक्त किये जायेगें अथवा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।

27. विकासकर्ता द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोज्यालोजी के आधार पर उपयुक्तता के संबंध में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

28. विकासकर्ता को विद्युत आपूर्ति यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासकर्ता को स्वयं यू0पी0पी0सी0एल0 से सहमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।

29. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा लेबर सेस मॉगें जाने पर आवेदक प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा

30. विकासकर्ता द्वारा परियोजना में नियमानुसार स्ट्रीट लाइट हेतु सोलर सिस्टम का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

31. विकासकर्ता को योजना में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता व डिजाईन को जल निगम के मानकों के अनुसार योजना में करना होगा। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान- 2031 की नीति के

अनुसार कुल जनसंख्या के 80 प्रतिशत आबादी की मात्रा की गणना की जायेगी। विकासकर्ता को जनसंख्या के अनुसार सॉलिड वेस्ट निस्तारण स्थल (गारबेज कलेक्शन सेंटर) हेतु आवश्यक क्षेत्रफल की व्यवस्था विकासकर्ता का स्वयं करनी होगी।

32. यदि भविष्य में मा० न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/निदेश, किन्ही प्रकार के शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते है तो उसके अनुसार विकासकर्ता को शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।

33. योजना के मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्यों के संबंध में मे0 एल्डिको हाउसिंग इण्डस्ट्रीज लि0 को लीडा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।

34. विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यों का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

35. किन्ही भी शर्तो का अनुपालन न करने पर ले–आउट मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

सहायक प्रबन्धक (परि0) प्रबन्धक (परि0) सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

पत्र सं0 718 / लीडा / ए0सी0ई0ओ / 336 27/02/18 दिनांक

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लीडा लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आंशिक विकासात्मक शुल्क की गणना एवं देयता के विवरण से आवेदक को अवगत कराना चाहे।

3. संबंधित सहा0प्रबंधक परि0 (जोन–लखनऊ) को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र के अनुसार ही विकास कार्य हो को सुनिश्चित करायें अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

27/2/18

वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना)

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012
फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,
मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 519 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 448 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1544

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

<u>निर्माणार्थ अनुमति – पत्र</u>

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 448 पर जिसका क्षेत्रफल 125.70 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 387/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक-- .

शर्ते– 1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉच वर्ष की अवधि के लिये हैं। यदि निर्माण आज्ञानुकूल नही बनी तो लीडा द्वारा उसे गिरवाया जा सकता हैं अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा यदि कोई निर्माण विना लीडा की अनुमति प्राप्ति किये निर्माणित अथवा पुन निर्माणित होगा तो उनके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय निर्माण को लीडा द्वारा हटया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन निर्माण बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र के सड़क या गली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे पोर्टिको बारजा, तोड़ा सीढी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर नये निर्माण की स्वीकृति चाहें उसके साथ नक्शे में दिखाई भी गयी हो, नही प्रदान की जावेगी। इन निर्माणों के लिये प्राधिकरण अधिनियम की धारा के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. निर्माण से यदि नाली की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग को निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण टकली गई हो) हानि पहुचे तो यह निर्माण स्वामी को गत तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा तो उसे पहले ही तोडकर अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को संतोष हो जावें में कर देना होगा।

4. निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्टिक सिटी रूल्स के निमय 1970 का उल्लघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि लीडा की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार लीडा को निर्माण के पूर्ण हो जाने की सूचना निर्माण समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा। यदि सूचना न दी गयी तो यह समझा जायेगा कि निर्माण पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी। और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्माण आदि हटावें जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इस लिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण को प्रारम्भ करे।

7. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना लीडा को देनी होगी।

8. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही सबधित सिविल इजी0 व आर्की0 की देखरेख में निमार्णकार्य कराया जायेगा। विशिष्टियों/ गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये लीडा जिम्मेदार नही होगा।

9. आवेदक का मानचित्र जिस उपयोग हेतु निर्धारित अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है उस अवधि में कार्यपूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना अनिवार्य है।

10. प्राधिकरण के सहा0 प्रबंधक परि0 द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।

11. प्राधिकरण की भवन नियमावली एवं अन्य शर्ते आवेदक को मान्य होगी।

12. किसी भी नियमो की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।

13. निर्धारित सख्यानुसार वृक्ष लगाना होगा।

14. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय–2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।

15. निर्माण के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत हैं, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।

16. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा,

जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के उपरांत जारी किया जायेगा।

17. इस अनुज्ञा से संदर्भित भू/गृह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरायोग्य अथवा/विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भॉति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है।

18. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्तकी जा सकती है।

19. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड वालकनी, छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहें भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी।

20. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहॉ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।

21. स्वामित्व के संबंध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

22. मानचित्र में दर्शित अशमनीय निर्माण यदि निर्धारित तिथि तक पक्ष द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकरी /प्रधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का प्रतिशत हर्जाना कार्यवाही करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल करेगा।

23. आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आप द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

24. सीवर व अन्य आवश्यक डिस्पोजल की व्यवस्था आप द्वारा स्वयं की जायेगी।

25. यदि संदर्भित भूखण्ड एक्सचेंज की कार्यवाही से प्रभावित/अच्छादित है तो इस स्थिति में एक्सचेंज की विधिक कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरांत अथवा उसपर निर्मित भवन के बिकी मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0. द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

सहायक प्रबन्धक (परि0) | सहयुक्त नियोजक / टाउन प्लानर

पत्र सं0 ..../लीडा/ए0सी0ई0ओ./381 दिनांक

प्रतिलिपि–

1 वरिष्ठ वित्त एव लेखाधिकारी, लीडा लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आंशिक विकासात्मक शुल्क की गणना एवं देयता के सबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 संबंधित सहा0प्रबंधक परि0 (जोन–लखनऊ) को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तके अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित, कराये अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 . 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 528 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 449 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तो (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1542

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 449 पर जिसका क्षेत्रफल 103.50 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 388/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक– .

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण
जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012
फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,
मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 401 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 450 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1443

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या .... / ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 450 पर जिसका क्षेत्रफल 103.50 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 376/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक– .

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 527 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 451 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1454

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या .... / ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 451 पर जिसका क्षेत्रफल 103.50 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली सख्या 388 / लीडा / सी.ई.ओ. / 2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक / टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक–

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 518 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 452 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ...1551...

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 452 पर जिसका क्षेत्रफल 110.70 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 374/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक–

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 523 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 453 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय सम्प्रेषण संख्या 1545

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 453 पर जिसका क्षेत्रफल 137.89 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 381/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक– .

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 529 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 454 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1451

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या .... / ल0औ0वि0प्रा0 दि0...........

<u>निर्माणार्थ अनुमति – पत्र</u>

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 454 पर जिसका क्षेत्रफल 95.63 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 384/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक– .

LIDA

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012
फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 514 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 455 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1455

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 455 पर जिसका क्षेत्रफल 95.63 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 368/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक– .

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 511 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 456 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1453

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 456 पर जिसका क्षेत्रफल 137.89 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 370/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक– .

LIDA

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 402 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 457 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1546

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0   दि0...........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 457 पर जिसका क्षेत्रफल 139.50 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 382/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक–

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

<u>निर्माणार्थ अनुमति – पत्र</u>

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 458 पर जिसका क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 369/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक– .

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 509 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 458 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1435

दिनांक 26/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन न0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 512 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम विजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 459 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1448

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0...........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 459 पर जिसका क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 371/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक– .

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 524 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–1 के भूखण्ड संख्या 460 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1447

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या .... /ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

<u>निर्माणार्थ अनुमति – पत्र</u>

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 का ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में जी–1 का भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 718 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत है। इसके भूखण्ड सं0 460 पर जिसका क्षेत्रफल 139.50 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 383/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 के नोट पृष्ठ सं0 1से 09 पर दिनांक 26.11.18 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)

सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

प्र0 वरि0 प्रबन्धक (परियेाजना)

दिनांक– .